दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. सेवा (भर्ती एवं चयन) विनियमन, 1972

निदेशक मण्डल की दिनांक 15 मई, 1972 को आयोजित
103वीं बैठक के प्रस्ताव सं. 13 द्वारा अनुमोदित

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302 005

विषय–सूची

1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः	4
2.	परिभाषाएं :	4
3.	पूर्व प्रवृत्त विनियमनों एवं आदेशों का निरसन	5
4.	विनियमनों में संशोधन एवं व्याख्याः–	5
5.	पदों की संरचनाः	6
6.	पदों पर नियुक्तिः–	6
7.	रिक्तियों के अवधारण–	7
8.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षणः–	7
9.	राष्ट्रीयताः–	8
10.	आयु–	8
11.	शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता एवं अनुभव विचारार्थ आवश्यक	9
12.	चरित्र	9
13.	शारीरिक योग्यता–	9
14.	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया	9
15.	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया–	11

16. अर्जेण्ट अस्थाई नियुक्ति : 13

17. परिवीक्षा : 13

18. वरिष्ठताः 15

19. स्थायीकरण : 16

20. विनियमनों के प्रकाशन से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में चयन, वरिष्ठता, इत्यादिः 16

21. वेतन, भत्ते, अवकाश आदि का विनियमन 16

परिशिष्ट–'ए' 17

परिशिष्ट ''बी'' 19

परिशिष्ट–**II** म्ततवत! ठववा

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.

सेवा (भर्ती एवं चयन) विनियमन, 1972

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः

ये विनियमन ''दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. सेवा (भर्ती एवं चयन) विनियमन, 1972'' कहलायेगें एवं ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमनों में:—

(1) ''नियुक्ति'' विनियमन 14 एवं 15 में विहित प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति अभिप्रेत है।

(2) ''निदेशक मण्डल'' निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के **धारा** 71 के अनुरूप नियुक्त मण्डल अभिप्रेत है

(3) ''सक्षम प्राधिकारी'' इन विनियमनों के अन्तर्गत किन्हीं शक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य ''दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.'' अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी जिसे निगम द्वारा इन विनियमनों में अधिकृत किया हों।

(4) ''निगम'' से अभिप्रेत है ''दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., जयपुर'' जिसमें संदर्भ इसलिए मानते हैं जहां जो अभिव्यक्ति अपने वारिस, उत्तराधिकारियों, निष्पादक और प्रशासकों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।

(5) ''सीधी भर्ती'' से विनियमन 14 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप की गई भर्ती अभिप्रेत है

(6) ''संस्थापन समिति'' संस्थापन विषयों के निष्पादन हेतु निदेशक मण्डल द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है

(7) ''प्रबन्ध निदेशक'' निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के **धारा** 76 के अनुरूप निगम के प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है

(8) ''पदोन्नति द्वारा भर्ती'' विनियमन 15 में विहित प्रक्रिया अनुसार भर्ती अभिप्रेत है।

(9) ''अनुसूची'' विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(10) ''सचिव'' निगम का सचिव अभिप्रेत है

(11) ''चयन समिति'' परिशिष्ट–''ए'' में वर्णित निगम सेवा के लिए सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए निगम द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।

(12) ''महाप्रबन्धक'' निगम के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त महाप्रबन्धक अभिप्रेत है।

3. पूर्व प्रवृत्त विनियमनों एवं आदेशों का निरसन

इन विनियमनों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित समस्त नियम तथा आदेश, जो इन विनियमनों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित नियमों तथा आदेशों के अधीन की गई कार्यवाही, इन नियमों और आदेशों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

4. विनियमनों में संशोधन एवं व्याख्याः–

निदेशक मण्डल इन विनियमनों में संशोधन, बदलने, व्याख्या करने, अलग–अलग, रूपान्तरित, परिवर्तन, रद्द करने अथवा जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है अथवा अन्य अनुपूरक विनियमनों में जो इन विनियमनों के संबंध में जारी किये गये हों एवं बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा ऐसा करने की आशय से एवं किसी भी दिनांक से जैसा वे उचित समझे प्रभावी करने का अधिकार आरक्षित है।

परन्तु कि अगर कोई नियम अथवा आदेश, जिसका कर्मचारी या कर्मचारियों पर भूतलक्षी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों को उपयुक्त संरक्षण दिया जायेगा। निदेशक मण्डल के निर्णय कर्मचारी या कर्मचारियों पर बाध्यकारी होंगे।

5. पदों की संरचनाः

निगम में पदों की संरचना समय–समय पर संशोधित अनुसूची–''ब'' में विनिर्दिष्टानुसार होगी।

6. पदों पर नियुक्तिः–

विभिन्न पदों पर नियुक्तियां संलग्न अनुसूची के स्कम्भ सं. 4 में वर्णित सीधी भर्ती अनुसार अथवा पदोन्नति अनुसार अथवा आंशिक सीधी भर्ती एवं आंशिक पदोन्नति अनुसार भरी जायेगी। बशर्ते किः

1) किसी पद विशेष की भर्ती में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निगम पद को पूर्णतया सीधी भर्ती से अथवा पूर्णतया पदोन्नति से, जैसा भी प्रकरण हो, भरने का निर्णय कर सकता है।

2) कि ऐसे व्यक्ति जो तदर्थ/स्थानापन्न/अस्थाई आधार पर निरन्तर रूप से 1.1.1972 तक 6 माह तक निरन्तर पद को धारण किये हुए हों, को इन विनियमनों में उनकी उपयुक्तता विनिर्णित की जाने के लिए जिस पर पद दिनांक 1.1.72 को कार्यरत थे, को विनियमन 14 के अनुसार निर्दिष्ट समिति द्वारा स्क्रीन किए जाऐंगे बशर्ते कि वे सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए विनियमनों में विहित की गई अपेक्षित अर्हताएं रखते हों या वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हो जिनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों का तदर्थ/स्थानापन्न/अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति के लिए चयन किया गया था।

(3) अनुसूची में सम्मिलित किऐ गए किसी भी पद पर निगम द्वारा तदर्थ नियुक्ति की जा सकेगी, तत्संबंधी नियुक्ति–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा राजकीय उपक्रम के कार्मिक को विहित नियम एवं शर्तें के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर, अथवा

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार का सेवानिवृत्त कार्मिक को विहित नियम एवं शर्तें जैसा उचित समझा जाये, अथवा

(ग) ऐसे व्यक्ति को जिसकी प्रख्यात उपयुक्तता एवं उपयोगिता हो, को संविदा के आधार पर एक समय में दो वर्ष से अधिक नहीं के लिए, जिस अवधि में आवश्यक होने पर आगामी विस्तार किया जा सकेगा।

7. रिक्तियों के अवधारण–

रिक्तियों की गणना निगम द्वारा इन विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारम्भ होने पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा दोनों प्रणालियों से वर्ष के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों का अवधारण कर समय में आवेदन आमंत्रित करने, इत्यादि की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षणः–

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण राज्य सरकार के ऐसे आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो।

8(अ)* सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30[†] प्रतिशत होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों

---

* कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/संस्था./98–99/2320–2409 दिनांक 29.4.98 द्वारा जोड़ा गया।

† कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्सन./2002–03/23875–925 दिनांक 26.2.2003 द्वारा 20 प्रतिशत के स्थान पर प्रतिस्थापित

पुरूष अभ्यार्थियों[‡] से भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं की जाएगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

9. राष्ट्रीयताः—

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो या सिक्किम अथवा नेपाल का प्रजाजन हो बशर्तें कि नेपाल का प्रजाजन व्यक्ति भारत सरकार से पात्रता प्रमाण पत्र धारक हो।

10. आयु—

अनुसूची में वर्णित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु 18 एवं 31 वर्ष क्रमशः हो, परन्तु यह :

(i) कि उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्थापन समिति द्वारा एवं इससे अधिक छूट निदेशक मण्डल के अनुमोदन पर दी जाएगी,

(ii) कि महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;

(iii) कि अस्थाई तौर पर नियुक्त व्यक्तियों को निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत मान्य समझा जावेंगा अगर आरम्भिक नियुक्ति के समय वे आयु सीमा में थे, चाहे उनके द्वारा चयन समिति के समक्ष अंतिम उपस्थित के समय आयु सीमा पार कर ली हो।

(iv) कि उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा ऐसे कर्मचारियों पर जो दिनांक 1.1.72 को निरन्तर 6 माह से कम नहीं, की अवधि की सेवा पूर्ण कर चुके हो, पर प्रभावी नहीं होगी।

---

‡ कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी / पर्सन. / 2002—03 / 23875—925 दिनांक 26.2.2003 द्वारा 'सामान्य प्रक्रिया अनुसार' के स्थान पर प्रतिस्थापित

11. शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता एवं अनुभव विचारार्थ आवश्यक

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए अभ्यार्थियों की योग्यता अनुसूची के कॉलम सं. 5 एवं 6 में जैसा वर्णन किया गया है, के अनुसार होगी।

12. चरित्र

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यार्थी का अच्छा चरित्र होना चाहिए जो उसे निगम सेवा में पद पर नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे आवेदन पत्र में निर्धारित प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

13. शारीरिक योग्यता–

सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नही होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हों। उसे निगम द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया

(1) महाप्रबन्धक (कार्मिक) द्वारा प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन उपरान्त सीधी भर्ती के ऐसे पदों पर रिक्तियों की भर्ती के लिए एक या एक से अधिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जायेगे जिन्हें भरा जाना है।

अभिव्यक्ति[§]

विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यार्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्त्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा

[§] कार्यालय आदेश कमांक राजसिका / कार्मिक / 2006–07 / 5851–80 दिनांक 14.7.2006 द्वारा जोड़ा गया

की कालावधि के दौरान, निगम द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियम पारिश्रमिक संदत किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथा–दर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए अभ्यार्थियों द्वारा देय परीक्षा फीस निम्नानुसार होगी :–

1)	ऐसे पद जिसका आरम्भिक वेतन 3000/– प्रतिमाह एवं अधिक	10/– रू.
2)	ऐसे पद जिसका आरम्भिक वेतन 2200/– प्रतिमाह परन्तु 3000/– प्रतिमाह से कम	7/– रू.
3)	ऐसे पद जिसका आरम्भिक वेतन 2200/– प्रतिमाह से कम	3/– रू.

बशर्ते

कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।

(3) विज्ञापन में वर्णित निर्धारित दिनांक तक प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

बशर्ते

कि निगम ऐसे निर्धारित दिनांक के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर समुचित कारण लिखित में दर्शाते हुए विचार कर सकेगा।

(4) सभी अभ्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में वर्णित प्रविष्टियों का महाप्रबन्धक (कार्मिक) एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा जांच कर ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना है का चयन समिति के अध्यक्ष की अनुमति उपरान्त चयन किया जायेगा

(5) चयन समिति अभ्यार्थियों का साक्षात्कार कर अपनी अनुशंषा रिकार्ड करेगी। अनुशंषा में भर्ती के लिए चयन किये गये अभ्यार्थियों के नाम योग्यता क्रम में तैयार किये जायेगे।

बशर्ते

कि चयन समिति ऐसे अभ्यार्थी के लिए जो विदेश में रहता हो साक्षात्कार को नजरअंदाज कर सकेगी।

(6) निगम की ओर से सभी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिश के अनुरूप महाप्रबन्धक (कार्मिक)/प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जायेगी।

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया–

(1)** ज्योंहि पदों पर पदोन्नति के लिए रिक्तियों की निश्चित संख्या को अवधारित किया जावें, महाप्रबन्धक (कार्मिक) द्वारा सही एवं पूर्ण सूची तैयार की जायेगी जिसमें संबंधित पदों के लिए विचारण सीमा निम्नानुसार होगी, जिसमें वरिष्ठतम कार्मिक जो इन विनियमनों में अंकित चयन हेतु निर्धारित अर्हंता रखते हो, प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन उपरान्त ऐसे कार्मिकों की सूची मय सेवा अभिलेख, गोपनीय प्रतिवेदन एवं प्रत्येक कार्मिक का बायोडेटा के सम्बन्धित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगाः–

(i) पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों की विचारण सीमा निम्नानुसार होगीः–

रिक्तियों की संख्या	**विचार किये जाने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या**
एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र कार्मिक
दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र कार्मिक

** आदेश क्रमांक आरएसआईसी/एस्टें./41466–99 दिनांक 15.3.89 द्वारा प्रतिस्थापित

तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र कार्मिक
चार या उससे अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों के तीन गुणा

(ii) जहां उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो तो इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जाएगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति अनुसूचित जनजाति, के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों तो विचार की संख्या–सीमा को रिक्तियों की संख्या के सात[††] गुना तक बढाया जा सकेगा। इस प्रकार विस्तारित विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या यथास्थिति अनुसूचित जनजाति, (अन्य कोई नहीं) के अभ्यार्थियों के बारे में भी, उसके लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के प्रति विचार किया जाएगा।

(2) समिति ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्हें सूची में सम्मलित किया गया है, जिन्हें चयन समिति आवश्यक समझे उनका साक्षात्कार करेगी एवं अभ्यार्थियों का योग्यता तथा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर 1 : 2 के अनुपात में चयन करेगी।

परन्तु

यह कि यदि समिति को समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष विशेष में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो पदोन्नति हेतु चयन इन नियमों में

[††] कार्यालय आदेश कमांक आरएसआईसी/पर्सन./2003–04/9481–9531 दिनांक 27.9.03 द्वारा शब्द ''पांच'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

यथाविर्निदिष्ट रीति से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जा सकेगा।

(3) निगम के महाप्रबन्धक (कार्मिक)/प्रबन्ध निदेशक द्वारा चयन समिति की सिफारिश के अनुरूप समस्त नियुक्तियां की जायेगी।

(4)[‡‡] सेवा की अपेक्षित कालावधि के व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में समिति दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. सेवा (भर्ती एवं चयन) विनियम, 1972 के अन्तर्गत सेवा की विहित कालावधि, अनुभव को उन व्यक्तियों के मामले में शिथिल कर सकेगी जिन्हें पदोन्नति हेतु यथा योग्यता इत्यादि एवं वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अन्यथा उपयुक्त पाया जाए।

ऐसी पदोन्नति उपरान्त वेतन स्थिरिकरण राज्य सरकार के संबंधित नियमों के अन्तर्गत होगा।

16. अर्जेण्ट अस्थाई नियुक्ति :

सक्षम प्राधिकारी किसी रिक्त पद को अस्थाई आघार पर ऐसे कार्मिक को नियुक्त कर सकेगा जो उस पद पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति पर नियुक्ति का पात्र हो परन्तु यह कि ऐसी कोई नियुक्ति चयन समिति को भेजे बिना तीन मास से अधिक अवधि के लिए नहीं भरेगा।

17. परिवीक्षा :

(1) [§§](i) किसी स्पष्ट रिक्ति के विरूद्ध सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा।

---

‡‡ कार्यालय आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्ट./88/37655–735 दिनांक 8.2.89 द्वारा विनियमन 15 में उपनियम (4) जोड़ा गया।

§§ कार्यालय आदेश क्रमांक राजसिको/कार्मिक/2006–07/5851–80 दिनांक 14.7.2006 द्वारा नियम 17(1) में वर्णित

''निगम के किसी भी पद पर विनियम 14 एवं 15 के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों में सभी अभ्यार्थियों को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहा है, परिवीक्षा की कालावधि में गिनी जायेगी।

(ii) खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो निगम समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें।

(iii) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो निगम द्वारा समय–समय पर नियत किया जावे।

(iv) परिवीक्षाकाल को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु गणना नहीं की जायेगी। परिवीक्षा कालावधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दिनांक से ही उन्हें पद के लिए निर्धारित वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

(2) यदि निगम को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय ऐसा प्रतीत हो कि कर्मचारी ने उसको दिये गये अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो निगम उसे उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर परिवर्तित कर सकेगा अथवा अन्य मामलों में उसे बिना नोटिस एवं बिना क्षतिपूर्ति भुगतान के उसे सेवान्मुक्त कर सकेगा।

परन्तु

परिवीक्षाकाल पर रखा जायेगा। इन नियमों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ऐसे सभी कार्मिक जो 27.1.76 को परीवीक्षा पर कार्यरत हैं का परीविक्षाकाल 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष का होगा। तथापि परीविक्षाकाल में की गई ऐसी समयावधि में वृद्धि मूल परिवीक्षाकाल में वृद्धि नहीं मानी जायेगी एवं कार्मिक के सेवा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाएगी''

के स्थान पर प्रतिस्थापित।

यह कि सक्षम प्राधिकारी किसी भी कार्मिक का परिवीक्षाकाल में विस्तार कर सकेगा किन्तु ऐसी कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

***परन्तु यह और भी

कि विशिष्ट मामलों में इसके कारणों को अभिलेखबद्ध करने के बाद परिवीक्षा अवधि में एक ओर अतिरिक्त वर्ष का विस्तार निदेशक मण्डल द्वारा किया जा सकता है।

18. वरिष्ठताः

सेवा में प्रत्येक प्रवर्ग में वरिष्ठता का निर्धारण उस प्रवर्ग में पद पर संस्थाई नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। परन्तु यह

(1) कि यदि एक ही वर्ष में सेवा के किसी एक प्रवर्ग में किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए गए हो तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

(2) यह कि प्रवर्ग विशेष में के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किये जाने पर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनका नाम चयन समिति द्वारा बनाई गई सूची में रखे गये हैं।

(3) कि ऐसे पदोन्नत कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रवर्ग विशेष में उसी क्रम में होगी जिस क्रम में विनियमन 15 के उपनियम 2 के अन्तर्गत सूची तैयार की गई है, एवं

(4) कि विनियमन 6 के उपनियम 2 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता उपरोक्त बिन्दु सं. 3 में दर्शाए गए कार्मिक से वरिष्ठ मानी जायेगी।

*** कार्यालय आदेश सं. आरएसआईसी/संस्था./7453–7542 दिनांक 23.6.93 द्वारा जोड़ा गया।

19. स्थायीकरण :

परिवीक्षाकाल पर रखा गया व्यक्ति परिवीक्षावधि की समाप्ति पर अपनी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जाएगा यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हैं और यह कि वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

परिवीक्षाकाल पर कार्यरत कर्मचारी को परिवीक्षाकाल की समाप्ति के शीघ्र उपरान्त परिवीक्षाकाल में किये गये कार्यों का पूर्ण विवरण लिखित में दर्शाते हुए एक आवेदन पत्र स्थायीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा।

20. विनियमनों के प्रकाशन से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में चयन, वरिष्ठता, इत्यादिः

इन विनियमनों के प्रारम्भ से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों की निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं वरिष्ठता स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार कर निर्धारित की जायेगी।

21. वेतन, भत्ते, अवकाश आदि का विनियमन

सेवा के कार्मिकों के वेतन, भत्ते, अवकाश एवं सेवा की अन्य शर्तें इन नियमों के उपबन्धित के सिवाय निगम के सेवा एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट–'ए'

चयन/भर्ती तथा पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए चयन समिति की रचना

[†††] [‡‡‡]ग्रुप–''ए''

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक आरएसआईसी — अध्यक्ष
2. आरएसआईसी के कोई भी दो सरकारी निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा मनोनीत

ग्रुप–''बी''

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक आरएसआईसी — अध्यक्ष

[†††] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/को.ऐफ./रूल्स/96–97/1000–89 दिनांक 16.4.1996 द्वारा निम्न परिशिष्ट 'ए' के स्थान पर प्रतिस्थापित :

चयन समिति की रचना

ग्रुप–'ए'

1.	अधिशाषी समिति के अध्यक्ष	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, उद्योग (निगम के निदेशक के रूप में)	–	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, आरएसआईसी	–	सदस्य
4.	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक बाहरी विशेषज्ञ	–	सदस्य
5.	महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन)	–	सचिव

ग्रुप– 'बी'

1.	प्रबन्ध निदेशक, आरएसआईसी	–	अध्यक्ष
2.	उप सचिव, उद्योग (निगम के निदेशक के रूप में)	–	सदस्य
3.	संबंधित गतिविधि/शाखा प्रमुख	–	सदस्य
4.	महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)	–	सचिव

[‡‡‡] सचिव, आरएसआईसी के यू.ओ.नोट क्रमांक आरएसआईसी/को.ऐफ/03–04/141 दिनांक 2.4.2004 द्वारा वयन समिति का निम्न के स्थान पर पुनर्गठन किया गया :–

ग्रुप–''ए''

2. आरएसआईसी के कोई भी दो अधिकारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक
द्वारा मनोनीत

I. प्रबन्धक एवं उच्च पदों के लिए

(i) प्रबन्ध निदेशक, आरएसआईसी
(ii) निदेशक, उद्योग } बोर्ड के निदेशक के रूप में
(iii) उप सचिव, उद्योग }
(iv) अधिशाषी निदेशक/महाप्रबन्धक (कार्मिक) आरएसआईसी

टिप्पणी : उपरोक्त समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

II. अन्य पदों के लिए

(i) प्रबन्ध निदेशक, आरएसआईसी
(ii) अधिशाषी निदेशक/महाप्रबन्धक (कार्मिक), आरएसआईसी
(iii) वित्तीय सलाहकार, आरएसआईसी
(iv) संबंधित गतिविधि प्रमुख
(v) उप सचिव, उद्योग बोर्ड के निदेशक के रूप में

टिप्पणी : एक अथवा एक से अधिक विशेषज्ञों को प्रबन्ध निदेशक के मनोनीत करने पर सीधी भर्ती के प्रयोजन में विशेष आमंत्रित सदस्य/सदस्यों के रूप में भी शामिल किया जा सकता है।

परिशिष्ट ''बी''

पदों का वर्गीकरण

ग्रुप– 'ए'★

1. महाप्रबन्धक
2. उप महाप्रबन्धक
3. कम्पनी सचिव[1]
4. सहायक महाप्रबन्धक[2]
5. प्रबन्धक

ग्रुप– 'बी'☆

1. सहायक प्रबन्धक
2. कनिष्ठ प्रबन्धक/एरिया प्रिकियोरमेन्ट इंस्पेक्टर[3]

★ पदों के पुर्नगठन में निम्न पदनाम परिवर्तित किये गये :

ग्रुप–'ए'

1. सचिव
2. वरिष्ठ कार्यकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक

☆ ग्रुप–'बी'

3. फील्ड ऑफिसर
4. लेखाकार/ऑफिस सुपरिडेन्ट/विधि सहायक/कम्पनी सहायक/सांख्यिकी सहायक
5. कनिष्ठ लेखाकार
6. पीओन चौकीदार

3. उप कनिष्ठ प्रबन्धक (जूनियर एरिया प्रिक्रियोरमेन्ट इंस्पेक्टर)

4. कनिष्ठ प्रबन्धक (लेखाकार)[4]

5. उप कनिष्ठ प्रबन्धक (कनिष्ठ लेखाकार)[5]

6. वरिष्ठ सहायक

7. वरिष्ठ बिक्री सहायक

8. कनिष्ठ सहायक

9. कनिष्ठ बिक्री सहायक

10. वरिष्ठ पैकर

11. कनिष्ठ पैकर

12. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/चौकीदार[6]

13. निजी सचिव

14. निजी सहायक

15. आशुलिपिक ग्रेड–ए

    आशुलिपिक ग्रेड–बी

    आशुलिपिक ग्रेड–सी

16. वाहन चालक

17. मास्टर क्राफ्टमैन (उस्ता सेन्टर)

18. सहायक कलर मास्टर

19. अर्द्धकुशल कामगार

20. सफाई कर्मचारी

---

* पदों के पुर्नगठन में निम्न पदों को समाप्त किया गया :

1. वरिष्ठ डिजाईनर
2. प्रशासनिक अधिकारी
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी
4. जूनियर फील्ड ऑफिसर
5. जमादार
6. विद्युतकार
7. वरिष्ठ वाहन चालक
8. फीटर
9. सहायक डिजाईनर
10. डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर
11. फील्ड इन्वेस्टीमेटर
12. कलर मास्टर
13. क्लिपिंग मास्टर (कॉरपेट)
14. डाईंग मास्टर (कॉरपेट)
15. कॉरपेट मास्टर
16. कॉरपेट हैल्पर
17. मास्टर ट्राईबल क्राफ्ट्स
18. हैल्पर ट्राईबल क्राफ्ट्स
19. कुशल कामगार
20. अकुशल मजदूर

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
जयपुर

परिशिष्ट–II

विषय सूची

क्र.सं.	पदनाम		पृष्ठ संख्या
1.	ग्रुप–'ए'		27
	1.	महाप्रबन्धक	27
	2.	उप महाप्रबन्धक	28
	3.	कम्पनी सचिव	29
	4.	सहायक महाप्रबन्धक	30
	5.	प्रबन्धक	31

क्र.सं.		पदनाम	पृष्ठ संख्या
2.	ग्रुप–'बी'		33
	6.	सहायक प्रबन्धक	33
	7.	कनिष्ठ प्रबन्धक (एरिया प्रिक्योरमेंट)	34
	8.	उप कनिष्ठ प्रबन्धक / जूनियर ए.पी.आई / जूनियर एफ.ओ.	35
	9.	कनिष्ठ प्रबन्धक (लेखा)	35
	10.	उप कनिष्ठ प्रबन्धक (लेखा)	36
	11.	वरिष्ठ सहायक	37
	12.	वरिष्ठ बिक्री सहायक	37
	13.	कनिष्ठ सहायक	38
	14.	कनिष्ठ बिक्री सहायक	38
	15.	वरिष्ठ पैकर	38

क्र.सं.	पदनाम	पृष्ठ संख्या
16.	जूनियर पैकर	39
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / चौकीदार	39
18.	निजी सचिव	39
19.	निजी सहायक	39
20.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–'ए'	39
	स्टेनोग्राफर ग्रेड–'बी'	40
	स्टेनोग्राफर ग्रेड–'सी'	40
21.	वाहन चालक	40
22.	मास्टर क्राफ्टसमैन (उस्ता सेन्टर)	40
23.	सहायक कलर मास्टर	41
24.	अर्द्धकुशल कामगार	41

विलोपित किये गये पदों का विवरण

विषय सूची

क्र.सं.	पदनाम	पृष्ठ संख्या
1.	वरिष्ठ डिजाईनर	41
2.	जमादार	42
3.	विद्युतकार	42
4.	वरिष्ठ वाहन चालक	42
5.	फीटर	42
6.	डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर	43
7.	सहायक डिजाईनर डीडीआरसी	43

क्र.सं.	पदनाम	पृष्ठ संख्या
8.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर डीडीआरसी	43
9.	किल्पिंग मास्टर	44
10.	डाईंग मास्टर कॉरपेट	44
11.	कॉरपेट मास्टर	44
12.	कॉरपेट हैल्पर	44
13.	मास्टर ट्राईबल क्राफ्ट्स	45
14.	हैल्पर ट्राईबल क्राफ्ट्स	45
15.	कुशल कामगार	45
16.	अकुशल मजदूर	45

1.6.1990 तक अद्यतन निगम के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति और पदोन्नति के लिए योग्यता एवं अनुभव अनुसूची

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ग्रुप–'ए'					
1.	*महाप्रबन्धक*	*37400–67000 ग्रेड पे 8700	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती	ए) चयनित श्रृंखला के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बी) i. आई.एम.पी. सदस्य के साथ सात वर्ष का संवर्गीकरण अथवा ii. अर्थशास्त्र या वाणिज्य या व्यवसाय/औद्योगिक प्रबन्धन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के साथ सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित	चयन पद

* वेतनमान 14300–400–18300 के स्थान पर प्रतिस्थापित

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				संगठन में एक उत्तरदायी पद पर 10 वर्ष का अनुभव। iii. द्वितीय श्रेणी में अभियांत्रिकी स्नातक के साथ सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित संगठन में एक उत्तरदायी पद पर 10 का अनुभव।	
			पदोन्नति	उप महाप्रबन्धक के साथ 5 वर्ष का उप महाप्रबन्धक के पद पर अनुभव	
2.	*उप महाप्रबन्धक*	*15600–39100 ग्रेड पे 7600	प्रतिनियुक्ति	राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ श्रृंखला/वरिष्ठ लेखाधिकारी के संवर्ग में 15 वर्ष की सेवा।	कोई सीधी भर्ती नहीं। चयन पद
			पदोन्नति	सहायक महाप्रबन्धक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	

* वेतनमान 12000–375–16500 के स्थान पर प्रतिस्थापित

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	***कम्पनी सचिव***	*15600–39100 ग्रेड पे 6600	सीधी भर्ती	ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक। वाणिज्य में प्राथमिकता। विधि स्नातक एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जायेगी। (बी) कम्पनी सचिव संस्थान के एक सदस्य/सह सदस्य होना आवश्यक है। (सी) सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कम से कम 7–10 वर्ष का अनुभव जिस पर सार्वजनिक उपक्रम में एक पर्यवेक्षी क्षमता का	

* वेतनमान 10000–325–15200 के स्थान पर प्रतिस्थापित

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हंता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।	
4.	*सहायक महाप्रबन्धक*	*15600–39100 ग्रेड पे 6600	प्रतिनियुक्ति	राजस्थान प्रशासनिक सेवा/राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी एवं उप निदेशक उद्योग के साथ संवर्ग में 7 वर्ष का अनुभव।	
			सीधी भर्ती	स्नातक के साथ आईआईएफटी डिप्लोमा, एम.बी.ए. या समकक्ष डिप्लोमा/डिग्री के साथ सार्वजनिक उपक्रम या प्रतिष्ठित निजी फर्म में पर्यवेक्षी क्षमता का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। अभियांत्रिकी उपाधि रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	
			पदोन्नति	प्रबन्धक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	

* वेतनमान 10000–325–15200 के स्थान पर प्रतिस्थापित

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	*प्रबन्धक*[1]	9300–34800 + जीपी 5400	सीधी भर्ती	अभ्यर्थी जो व्यवसाय प्रबन्धन की मास्टर उपाधिधारी अथवा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो एम.बी.ए. डिग्री के समकक्ष हो, जो मान्यता प्राप्त प्रबन्ध संस्थानों से	प्रबन्धक की 9 स्वीकृत पदों में से 5 पद सीधी भर्ती एवं शेष 4 पदोन्नति के माध्यम से

[1] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./2010–11/14508–38 दिनांक 10.1.2011 द्वारा ग्रुप–'ए' में प्रबन्धक के पद की निम्न अनुसूची में संशोधान किया गया :–

5.	प्रबन्धक	9300–34800 + जीपी 5400*	प्रतिनियुक्ति	राजस्थान प्रशासनिक सेवा/राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी
			सीधी भर्ती	द्वितीय श्रेणी में वाणिज्य, अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक के साथ इस क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता का 5 वर्ष का अनुभव। संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।/लेखा अधिकारी पद के लिए, चार्टर्ड एकाउन्टेंट के साथ तीन वर्ष का अनुभव की न्यूनतम योग्यता होगी।
			पदोन्नति	सहायक प्रबन्धक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।

* वेतनमान 8000–275–13500 के स्थान पर प्रतिस्थापित

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				हो/बैचलर ऑफ डिजाईन में डिग्री अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि/भारतीय शिल्प एवं डिजाईन संस्थान, जयपुर से स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा समकक्ष अर्हता। पर्यवेक्षी क्षमता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	
			पदोन्नति	सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रबन्धक के पद पर 7 वर्ष का अनुभव।	

ग्रुप 'बी'					
6.	*सहायक प्रबन्धक*[2]	9300–34800 ग्रेड पे 4800	सीधी भर्ती 50 प्रतिशत	वाणिज्य / कला / विज्ञान / अर्थशास्त्र / व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक के साथ क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता का 5 वर्ष का अनुभव।	
				सहायक प्रबन्धक (पीआर) के पद के लिए : स्नातक के साथ 5 वर्ष का जन सम्पर्क तथा हैण्डीक्राफ्ट्स् में अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	

[2] कार्यालय आदेश सं. आरएसआईसी / पर्सन. / 2005–06 / 6044–6093 दिनांक 20.7.2005 द्वारा निम्न के स्थान पर संशोधित

सहायक प्रबन्धक	2000–60–2300–75– 3200	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	वाणिज्य / अर्थशास्त्र / व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक के साथ क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता का 5 वर्ष का अनुभव मार्केटिंग / हैडीक्राफ्टस् में विशेष ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
		50 प्रतिशत पदोन्नति	1. 50 प्रतिशत पद लेखाकार से जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हो। 2. 50 प्रतिशत ऐरिया प्रोक्योरमैंट इंस्पेक्टर / फील्ड ऑफिसर से जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हो।

				सहायक प्रबन्धक (सिस्टम) के पद लिए : स्नातक एवं डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स/ ''ओ'' लेवल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के क्षेत्र में 5 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	
				सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद लिए : स्नातक के साथ वित्त एवं लेखा में 5 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	
				1. 50 प्रतिशत लेखाकार (कनिष्ठ प्रबन्धक) से जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हो। 2. 50 प्रतिशत ए.पी.आई./एफ.ओ. (कनिष्ठ प्रबन्धक) से जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हो।	
7.	*कनिष्ठ प्रबन्धक*[$] *(एरिया प्रिक्योरमेंट)*	[*]9300–34800 ग्रेड पे 4200	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	स्नातक के साथ सात वर्ष का हस्तशिल्प में क्रय एवं विक्रय का अनुभव अथवा	

[$] एरिया पिक्योरमेन्ट इंस्पेक्टर/फील्ड ऑफिसर का परिवर्तित पदनाम

[*] वेतनमान 1640–60–2600–75–2900 के स्थान पर प्रतिस्थापित

				विपणन प्रबन्धन में एम.बी.ए.	
			50 प्रतिशत पदोन्नति	जूनियर एरिया प्रिक्योरेमैंट इंस्पेक्टर/जूनियर फील्ड ऑफिसर के पद पर (5) पांच वर्ष का अनुभव रखते हों	
8.	*उप कनिष्ठ प्रबन्धक* $$ / *जूनियर ए.पी.आई*	*9300–34800 ग्रेड पे 3600	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	स्नातक के साथ 5 वर्ष का विक्रय या क्रय एवं हस्तशिल्प का प्रबन्ध करने का किसी प्रतिष्ठित व्यापारिक फर्म में पांच वर्ष का अनुभव	
			50 प्रतिशत पदोन्नति	वरिष्ठ ब्रिक्री सहायक एवं वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय भण्डारों के स्टोरकीपर) के साथ पांच वर्ष का अनुभव।	
9.	*कनिष्ठ प्रबन्धक (लेखाकार)* $$	$9300–34800 ग्रेड पे 4200	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	वाणिज्य में स्नातक के साथ पांच वर्ष का अनुभव अथवा एडंवास अकाउन्टेंसी के साथ वार्णिज्य में स्नातकोत्तर एवं किसी सरकारी विभाग/उपक्रम अथवा प्रतिष्ठित व्यवसायिक फर्म में स्वतः रूप से	

$$ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./98–99/857–906 दिनांक 15.4.98 द्वारा पदनाम परिवर्तित

* वेतनमान 1400–40– 1800–50– 2300–60– 2360 के स्थान पर प्रतिस्थापित

$$ आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./98–99/857–906 दिनांक 15.4.98 द्वारा पदनाम परिवर्तित

$ वेतनमान 1640–60– 2600–75– 2900 के स्थान पर प्रतिस्थापित

				लेखा/भण्डार कार्य देखने का दो वर्ष का अनुभव आईसीडब्ल्यूए (इंटरमिडियेट) अथवा कॉस्ट एकाउन्टेंसी में डिप्लोमाधारी के साथ किसी सरकारी विभाग/उपक्रम अथवा प्रतिष्ठित व्यवसायिक फर्म में स्वतः रूप से लेखा/भण्डार कार्य देखने का दो वर्ष का अनुभव।	
			50 प्रतिशत पदोन्नति	कनिष्ठ लेखाकार के साथ पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	
10.	*उप कनिष्ठ प्रबन्धक (कनिष्ठ लेखाकार)*[$$]	*9300–34800 ग्रेड पे 3600	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	वाणिज्य में स्नातक के साथ किसी प्रतिष्ठित निजी फर्म या किसी राजकीय विभागअथवा राजकीय उपक्रम में दो वर्ष का लेखा कार्य देखने का अनुभव रखते हो।	
			50 प्रतिशत पदोन्नति	वरिष्ठ कार्यालय सहायक के साथ पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	

[$$] आदेश क्रमांक आरएसआईसी/पर्स./98–99/857–906 दिनांक 15.4.98 द्वारा पदनाम परिवर्तित

* वेतनमान 1400–40– 1800–50– 2300–60– 2360 के स्थान पर प्रतिस्थापित

11.	***वरिष्ठ सहायक*** #	*5200–20200 ग्रेड पे 2800	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	स्नातक के साथ दो वर्ष का अनुभव अथवा हायर सैकण्डरी के साथ किसी प्रतिष्ठित निजी व्यवसायिक फर्म या सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में 8 वर्ष का अनुभव	
			50 प्रतिशत पदोन्नति	कनिष्ठ सहायक के साथ मेट्रिकुलेट के लिए पांच वर्ष या स्नातक के लिए दो वर्ष का अनुभव रखते हो।	
12.	***वरिष्ठ बिक्री सहायक***	*5200–20200 ग्रेड पे 2800	50 प्रतिशत सीधी भर्ती	स्नातक के साथ किसी प्रतिष्ठित निजी फर्म में सैल्समैनशिप का तीन वर्ष का अनुभव अथवा हायर सैकण्डरी के साथ किसी प्रतिष्ठित निजी फर्म में सैल्समैनशिप का पांच वर्ष का अनुभव	
			50 प्रतिशत पदोन्नति	कनिष्ठ बिक्री सहायक के साथ सात वर्ष का अनुभव रखते हो।	

आदेश क्रमांक आरएसआईसी/ऐस्टे./14400–70 दिनांक 30.1.1987 द्वारा पदनाम परिवर्तित

* वेतनमान 1200–30–1560–40–2000–50–2050 के स्थान पर प्रतिस्थापित

13.	*कनिष्ठ सहायक* #	* 5200–20200 ग्रेड पे 2400	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	मैट्रिक पास या उसके समकक्ष के साथ अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट/ हिन्दी टंकण जानने वालों का प्राथमिकता दी जायेगी।	
14.	*कनिष्ठ बिक्री सहायक*	* 5200–20200 ग्रेड पे 2400	80 प्रतिशत सीधी भर्ती	हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण के साथ किसी प्रतिष्ठित व्यवसायिक निजी फर्म में सैल्समैनशीप के कार्य का अनुभव	
			20 प्रतिशत पदोन्नति	मैट्रीकुलेट पैकर के साथ तीन वर्ष का अनुभव	
15.	*वरिष्ठ पैकर*	§ 5200–20200 ग्रेड पे 2000	पदोन्नति द्वारा	कनिष्ठ पैकर/ मैन्यूअल असिस्टेंट / ब्रांस वर्कर के साथ 5 वर्ष मिलाकर अथवा पृथक से अनुभव के साथ	
16.	*जूनियर पैकर*	¥ 5200–20200 ग्रेड पे 1750	पदोन्नति द्वारा	साक्षर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	

आदेश दिनांक 30.1.1987 द्वारा पदनाम परिवर्तित।

* वेतनमान 975–25–1100–30–1540–40–1720 के स्थान पर प्रतिस्थापित

§ वेतनमान 910–20–1150–25–1400–30–1520 के स्थान पर प्रतिस्थापित

¥ वेतनमान 800–15–950–20– 1250के स्थान पर प्रतिस्थापित

17.	*चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ चौकीदार*	§5200–20200 ग्रेड पे 1700	सीधी भर्ती	साक्षर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	
18.	[3] *निजी सचिव*	*15600–39100 ग्रेड पे 6000	पदोन्नति द्वारा	निजी सहायक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	
19.	*निजी सहायक*	• 9300–34800 ग्रेड पे 5400	पदोन्नति	स्टेनोग्राफर 'ग्रेड–ए' के साथ पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	
20.	*स्टेनोग्राफर ग्रेड–'ए'*	✪9300–34800 ग्रेड पे 4800	सीधी भर्ती	मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ आशुलिपि में न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट	

§ वेतनमान 750–12–798–13–850–15–940 के स्थान पर प्रतिस्थापित

3 रूपये 2500–4250 का संशोधित वेतनमान निजी सचिव के पद पर तभी प्रभावी होगा जबकि पद के धारक को नियुक्ति नियमित पदोन्नति क्रम में तीसरी हो एवं जिस निचले पद से पदोन्नत किया गया है उस पद का वेतनमान 1490–3050 (संशोधित वेतनमान 2000–3200) से कम न हो। अगर यह दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होती है उस स्थिति में वेतनमान 2200–4000 संशोधित किया जायेगा।

* वेतनमान 2300–75–2800–100–4000–125–4250/2200–75–2800–100–4000 के स्थान पर प्रतिस्थापित

• वेतनमान 2200–75– 2800–100– 4000के स्थान पर प्रतिस्थापित

✪ वेतनमान 2000–60–2600–75–3200 के स्थान पर प्रतिस्थापित

				एवं टंकण में 50 शब्द प्रति मिनट	
	स्टेनोग्राफर ग्रेड–'बी'	★9300–34800 ग्रेड पे 4200	सीधी भर्ती	मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ आशुलिपि में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट	
	स्टेनोग्राफर ग्रेड–'सी'	▪9300–34800 ग्रेड पे 3600	सीधी भर्ती	मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट	
21.	*वाहन चालक*	☆5200–20200 ग्रेड पे 2400	सीधी भर्ती	साक्षर/आठवीं उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ तीन वर्ष पुराना वाहन चलाने का लाईसेंस रखते हो।	
22.	*मास्टर क्राफ्ट्समैन (उस्ता सेन्टर)*	$9300–34800 ग्रेड पे 3600	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया	

★ वेतनमान 1640–60– 2600–75– 2900 के स्थान पर प्रतिस्थापित

▪ वेतनमान 1400–40–1800–50–2300–60–2360 के स्थान पर प्रतिस्थापित

☆ वेतनमान 975–25–1100–30–1640–40–1720 के स्थान पर प्रतिस्थापित

$ वेतनमान 1400–40–1800–50–2300–60–2360 के स्थान पर प्रतिस्थापित

				जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
23.	*सहायक कलर मास्टर*	समेकित वेतन	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
24.	*अर्द्धकुशल कामगार*	★5200—20200 ग्रेड पे 1700			

निम्न पदनाम के लिए नियुक्ति और पदोन्नति के लिए योग्यता एवं अनुभव अनुसूची को विलोपित किया गया :

क्र.सं.	*पदनाम*	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	*वरिष्ठ डिजाइनर*	8000—275—13500	सीधी भर्ती	ए) टेक्सटाईल डिजाइनिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा। बी) सरकारी/कॉरपोरेशन या निजी क्षेत्र या प्रतिष्ठित फर्म में टेक्सटाईल	

★ वेतनमान 730—10—920—15— 1000— 20—1200—25—1250के स्थान पर प्रतिस्थापित

क्र.सं.	*पदनाम*	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
				डिजाइनिंग कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।	
2.	*जमादार*	800—15—950 —20— 1250	पदोन्नति द्वारा	साक्षर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।	
3.	*विद्युतकार*	975—25—1100 —30 — 1640 — 40 — 1720	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ विद्युत कार्य की जानकारी अथवा आईटीआई विद्युत विषय के साथ एक वर्ष का अनुभव	
4.	*वरिष्ठ वाहन चालक*	1025—25—1100—30—1640—40—1800	पदोन्नति	वाहन चालक के साथ निगम में 15 वर्ष का अनुभव रखते हो।	
5.	*फीटर*	730—10—850 —15— 1000 — 20 — 1200 — 25 — 1250	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ मशीनी कार्य एवं उसकी फिटिंग की जानकारी अथवा मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई के साथ एक वर्श का अनुभव रखता हो।	

क्र.सं.	*पदनाम*	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
6.	*डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर*	800—15—950 —20— 1250	सीधी भर्ती	टर्नर ट्रेड में आईटीआई के साथ तीन वर्ष का लेथरशेपर मशीन या ड्रिलिंग मशीन चलाने का अनुभव अथवा आठवीं पास के साथ डुप्लीकेंटिग मशीन चलाने का 10 वर्ष का अनुभव रखता हो।	पदोन्नति पद
			पदोन्नति	आठवीं पास पियोन के साथ 10 वर्ष का अनुभव रखता हो डुप्लीकेटिंग मशीन चलाने के व्यवहारिक अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	
7.	*सहायक डिजाईनर* *डीडीआरसी*		सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
8.	*फील्ड इन्वेस्टीगेटर डीडीआरसी*		सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त	

क्र.सं.	पदनाम	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हता एवं अनुभव	विशेष विवरण
				जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
10.	*किल्पिंग मास्टर*	समेकित वेतन	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
11.	*डाईंग मास्टर कॉरपेट*	समेकित वेतन	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
12.	*कॉरपेट मास्टर*	समेकित वेतन	सीधी भर्ती	साक्षर के साथ संबंधित कला में पांच वर्ष का अनुभव। डिप्लोमाधारकों एवं/अथवा दस्तकार संबंधी कला में दक्षता प्राप्त जिसका निर्णय प्रदर्शनात्मक कार्य से किया जायेगा, को प्राथमिकता दी जायेगी।	
13.	*कॉरपेट हैल्पर*	समेकित वेतन			

क्र.सं.	*पदनाम*	वेतन श्रृंखला	नियुक्ति का प्रकार	निर्धारित अर्हंता एवं अनुभव	विशेष विवरण
14.	*मास्टर ट्राईबल क्राफ्टस्*	समेकित वेतन			
15.	*हैल्पर ट्राईबल क्राफ्टस्*	समेकित वेतन			
16.	*कुशल कारीगर*	820—10—850—15—1000—20—1200—25—1400—30—1520			
17.	*अकुशल कारीगर*	700—10—750—15— 865			